राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 6/डीडीएमए/कोविड–19/31 दिनांक 08.04..2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि भारत सरकार ने ''कोविड–19'' के खतरे को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 मध्य रात्रि तक पूरे भारत में लॉकडाउन को अधिसूचित किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र शामिल है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को उचित उपाय करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए हैं।

और जबकि, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पत्र संख्या 52/डीजीएचएस/पीएच–IV/कोविड/2020/प्र0 स0 स्वा0 एवं परि0/3803–32 दिनांक 02/04/2020 के अनुसार अप्रिय घटनाओं से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पतालों और क्वारंटीन सैन्टरों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को अवगत कराया है ताकि कोविड प्रभावित व्यक्ति संक्रमण के आगे फैलने से बचने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए आइसोलेशन/क्वारंटीन में रहें।

और जबकि, कोविड–19 बीमारी के प्रसार को प्रभावी ढंग न्यूनतम करने और रोकने के लिए उपरोक्त को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में स्थापित प्रत्येक क्वारंटाइन केंद्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड प्रभावित व्यक्ति अपने क्वारंटीन केंद्र में ही रहे, के लिये एक सहायक आयुक्त पुलिस को एक शिफ्ट (रात की शिफ्ट में) में तैनात किया जाएगा। अध्यक्ष, जिला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने समकक्ष जिला पुलिस

उपायुक्त के साथ परामर्श से यदि उचित समझे तो शिफ्ट टाइमिंग में किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में, :

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
2. समस्त जिला डीसीपी, दिल्ली पुलिस।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, दिल्ली।
4. सचिव, माननीय गृह मंत्री, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
7. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, सरकार।
9. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
10. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
11. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) दिल्ली।
12. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
13. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।